न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां ।
पीठासीन अधिकारी – श्री प्रकाश रेगर,आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या – 258/2019
प्रार्थीगण :–

1 उरजाराम पुत्र श्री झुमरराम
2 दीपाराम पुत्र श्री चूनाराम
3 अनु जोजे बनाराम
जाति जाट निवासी पडासला
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

अप्रार्थीगण :–

1 श्री तहसीलदार साहब, बापीणी ।

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट.

निर्णय **दिंनाक :–** 2/8/19

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है तहसील औसिया नवसर्जित तहसील बापीणी के ग्राम पडासला की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 266 रकबा 58 बीघा 8 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थीगण संख्या 3 का 1/2 हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज है । उक्त वादग्रस्त भूमि मे झुमरराम का 1/4 हिस्सा था एवम् चूनाराम का भी 1/4 हिस्सा था । झुमरराम ने अपने जीते जी अपने पुत्र प्रार्थी संख्या 1 के नाम से अपने 1/4 हिस्से मे से 1/10 हिस्से का यानि सम्पूर्ण भूमि का 1/40 हिस्से का दिंनाक 29.9.2005 को बेचान किया था इस कारण झुमरराम के जीतेजी झुमरराम के हिस्से मे उसके साथ नाम दर्ज हो गया था एवम् झुमरराम के फौत होने पर उतराधिकारी मे एवम् हकर्तक के जरीये झुमरराम के स्थान पर दुबारा प्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया इस प्रकार से प्रार्थी संख्या 1 का उक्त खाते मे दो बार नाम दर्ज हो गया है जो 1/4 हिस्से मे ही है किन्तु दो बार नाम दर्ज होने से हिस्सा प्रभावित होता है जो गलत व अशुद्ध है

सहायक कलेक्टर, औसियां

Scanned by CamScanner

जिसे दो बार उरजाराम के नाम के स्थान पर एक बार उरजाराम पुत्र झुमरराम का नाम दुरूस्त कराना चाहते है जिसमे सभी खातेदार सहमत है इसमे किसी को कोई आपति नही है ।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को नोटिश जारी किया गया । अप्रार्थी की तरफ से सरकारी पैरोकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । सरकारी पेरोकार ने अप्राथी से रिपोर्ट तलब कर न्यायालय मे पेश की जो सामिल पत्रावली की गई । दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव तहसीलदार बापीणी की जांच रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 140 व 266 के वक्त बेचान व विरासत से प्रापत भूमि से खातेदार उरजाराम पुत्र श्री झुमरराम व दीपाराम पुत्र श्री चूनाराम के 1/2 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा बनता है यानि सम्पूर्ण खाते की भूमि मे उरजाराम पुत्र श्री झुमरराम का 1/4 हिस्सा व दीपराम पुत्र श्री चुनाराम का 1/4 हिस्सा बनता है जो जांच रिपोर्ट से साबित है

उपरोक्त विवेचन व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाता हूं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम पडासला के खसरा नम्बर 140 व 266 की सम्पूर्ण भूमि मे दो बार उरजाराम पुत्र झुमरराम के स्थान पर एक बार उरजाराम पुत्र श्री झुमरराम का 1/4 हिस्सा व दीपाराम पुत्र श्री चूनाराम का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर औसिया

सहायक कलेक्टर, औसियां

निर्णय आज दिंनाक 7/8/19 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्ट्रर औसिया

सहायक कलेक्टर, औसियां

न्यायालय सहायक कलेक्टर औसियां जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner